ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

NO.-2024/186

म्बर– 57 / 2024

चंद मालव आयु 61 वर्ष आत्मज श्री मोतीलाल
ास देवी आयु 58 वर्ष पत्नी लालचंद मालव निवासीगण सी–181 इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान
कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1. गजेन्द्र मालव आत्मज श्री लालचंद मालव आयु 32 वर्ष
2. चिन्का मालव पत्नी गजेन्द्र मालव आयु 29 वर्ष निवासीगण सी–181 इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान नगर कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक...16/8/24

उपस्थिति:–

1.श्री ओमप्रकाश नागर प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री कुंजबिहारी नागर अप्रार्थी क्रम 1 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन हैं , जिनका मकान सी – 181 इन्द्राकॉलोनी विज्ञान नगर , कोटा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण निवास करते चले आ रहे है। उक्त मकान को प्रार्थीगण द्वारा ही खरीद किया गया था, उक्त मकान प्रार्थीया क्रम 2 द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से अपने सम्पूर्ण स्त्रीधन से खरीद किया गया था। प्रार्थी क्रम 1 ने अपनी स्वअर्जित आय से मकान का निर्माण करवाया है। प्रार्थी क्रम 1 रेलवे मे नौकरी करता था, तथा दिनांक 31.12.22 को सेवानिवृत्त हुआ है। तभी से प्रार्थीगण अपने मकान में परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के 3 पुत्र है, बडा पुत्र मकान मे ही उपर वाले पोर्शन में शान्ति पूर्वक निवास करता चला आ रहा है, अप्रार्थी गजेन्द्र मालव व उसकी पत्नी चिन्का मालव भी उक्त मकान के एक कमरे मे निवास करते चले आ रहे है जो अशान्ति फेलाते है, तथा आये दिन प्रार्थीगण से लडाई झगडा , गाली गलोच कर मारपीट करते है। प्रार्थीगण की वृद्वावस्था होने के कारण अप्रार्थीगण का सामना नही कर पाते है, प्रार्थीगण का एक पुत्र घनश्याम मालव अविवाहित है, जो प्रार्थीगण के साथ ही वर्तमान में निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण के अविवाहित पुत्र के रिश्ते के लिये रिश्तेदार व मेहमान आते है तो प्रार्थीगण के साथ व उसके पुत्र के साथ लडाई झगडा गाली गलोच करते है, तथा आये हुये रिश्तेदार एवं मेहमानो के साथ दुर्वहार कर भगा देते है। जिसके कारण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के पुत्र का विवाह भी नही हो पा रहा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण मानसिक रूप से करते है। अप्रार्थीया क्रम 2 प्रार्थीगण को झूठे केस मे आलिप्त कर फंसाने की धमकी इस प्रकार से प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करते है। जबकि ऐसा करने का उनको अधिकार प्राप्त नही है। जबकि जिस मकान में अप्रार्थीगण निवास करते है उसको र्थीगण नाजायज रूप से हडप करना चाहते है। अप्रार्थी क्रम 1 विद्यालय में पढाता है जिसको ा वेतन प्राप्त होता है एवं अप्रार्थीया क्रम 2 कम्पनी मे कार्यरत है। अप्रार्थीगण को 50,000/– माह आय प्राप्त होती है। जिससे कि अप्रार्थीगण अपना खर्चा चलाने मे सक्षम है। इसलिये लग से मकान लेकर निवास करे, तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अशांति पैदा नही करे। प्रार्थी क्रम 1 को सेवानिवृति पर जो भी राशि प्राप्त हुयी है उसमे से अप्रार्थीगण उक्त राशि की मांग करते है और न ही दिये जाने पर प्रार्थीगण को मानसिक व शारीरिक क्षति पहुँचाने हेतु आमादा रहते है। अप्रार्थीगण , प्रार्थीगण को अलग से मकान बनाकर देने हेतु दबाव बनाते हैं , और मना करने पर प्रार्थीगण से लगातार मारपीट कर शारीरिक चोटे पहुँचाते है। अप्रार्थीगण मकान मे से भी हिस्सा मांगते है, जबकि उनका उक्त जमीन व मकान में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है, क्योकि उक्त मकान व जमीन प्रार्थीगण की स्वअर्जित आय की सम्पत्तिया है। अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी क्रम 1 के साथ गाली गलोच व मारपीट की व दिनांक 26.05.24 को प्रार्थीया क्रम 2 के साथ अप्राथीया क्रम 2 द्वारा गरम सब्जी की कडाई फेकदी , जिससे प्रार्थीया का शरीर जल गया, इसके बाद दिनांक 02.06.24 को सुबह 8 बजे प्रार्थीया क्रम 2 सीढियो पर झाडू लगा रही थी तो उस समय अप्रार्थीया क्रम 2 ने पीछे से आकर धक्का देकर सीढीयो से गिरा दिया। प्रार्थी क्रम 1 कमरे से बाहर निकला तो अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी का गला पकड लिया और नीचे गिरा दिया, और कहने लगा कि मेरा हिस्सा दो नही तो जानसे मार दूँगा। प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 के माता पिता है इस कारण से अपने मकान में साथ नीचे के कमरे में रखा लेकिन नियत खराब होने से उक्त मकान को हडप करना चाहते है। अप्रार्थीया क्रम 2 प्राईवेट नौकरी करती है, रात्री मे नौकरी करके घर आती है तब से ही प्रार्थीगण के साथ मारपीट करती है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से अपनी जान व माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। यहां पर यह बताना भी अनावश्यक नही होगा कि अप्रार्थीया क्रम 2 प्रार्थीया क्रम 2 पर खाना बनाने व उसे खिलाने हेतु दबाव बनाती है मना करने पर मारपीट करती है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की थाना विज्ञान नगर कोटा में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी लेकिन थानाधिकारी महोदय द्वारा पारिवारिक मामला बताते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द करके छोड दिया गया। इसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया था लेकिन वहां पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नही की गई। प्रार्थीगण वृद्ध एवं सीनियर सीटीजन व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहते है, प्रार्थीगण के पास पेन्शन के अलावा अन्य कोई आय का साधन नही है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई नल व बिजली का भुगतान नही करते है, इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण को नाजायज रूप से परेशान करते चले आ रहे है। यदि प्रार्थीगण के उक्त मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल नही किया गया तो अप्रार्थीगण कभी भी कोई भी अप्रिय घटना प्रार्थीगण के साथ कारित कर सकते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी क्रम 1 से आधी पेन्शन की मांग करता है और नही देने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते चले आ रहे है। इस कारण से भी अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के उक्त मकान से बेदखल किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया जावे कि अप्रार्थीगण , प्रार्थीगण को बिना किसी कारण के उनके साथ मे मारपीट , गाली गलोच नही करे, और अप्रार्थीगणो को, प्रार्थीगण के मकान के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से निष्कासित किया जाकर कमरे पर कब्जा दिलवाया जावे। एवं अन्य न्यायोचित जो भी प्रार्थीगण को मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी एवं की पत्नी प्रार्थीगण से कोई लडाई झगडा नही करते है। जिनके समय पर प्रार्थी एवं प्रार्थी त्नी काम धन्धे पर निकल जाते है। प्रार्थी प्राईवेट स्कूल मे अध्यापन का कार्य करता है तथा की पत्नी चिन्का मालव बैक मे जोब करती है। इस कारण प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कोई गाली गलोच एवं लडाई झगडा ो किया गया। बल्कि मकान मे शान्ति से निवास करते है। कभी कभी अप्रार्थी क्रम 1 की पत्नी न्का मालव व प्रार्थी की माता के बीच बातो बातो मे विवाद हो जाता है। अप्रार्थीगण का काम न्धा करना स्वीकार है। परन्तु प्रार्थीगण अप्रार्थी के माता पिता होने से अप्रार्थी क्रम 1 का भी मकान में अधिकार है । इस कारण अप्रार्थी भी शान्ति से पत्नी के साथ मकान मे निवास करेगा। प्रार्थीगण बेदखल नही कर सकते। प्रार्थी, अप्रार्थी की पत्नी के बीच कभी कभी लडाई झगडा होता है, लेकिन मारपीट नही हुयी है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण से कोई पेन्शन की राशि की मांग नही की गई है। अप्रार्थीगण का मकान व जमीन मे पूर्ण अधिकार है क्योकि पैतृक आराजी से मकान खरीद किया गया है। अप्रार्थी की पत्नी एवं अप्रार्थी की माता प्रार्थी क्रम 2 के बीच दिनांक 26.05.24 को लडाई झगडा हुआ उस समय अप्रार्थी क्रम 1 लडाई झगडे वाले स्थल पर मौजूद नही था। बाद मे पता चला तो अप्रार्थी क्रम 1 ने पत्नी को भी समझा दिया और मकान मे किसी प्रकार के हिस्से की मांग नही की। अप्रार्थी क्रम की मकान पर कब्जा करने की कोई नियत नही है। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी की पत्नी जोब करती है। खाना नही बना पाती है , इसलियें खाना बनाने के लिये प्रार्थीया क्रम 2 से अप्रार्थीया क्रम 2 कहती है इस कारण से वाद विवाद होता रहता है। अप्रार्थीगण द्वारा थाना विज्ञान नगर मे अप्रार्थीया क्रम 2 के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी गई थी उसके बाद से ही अप्रार्थी क्रम 1 शान्ति पूर्वक निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण को पेन्शन प्राप्त होती है इस कारण से नल बिजली का भुगतान करने की जिम्मेंदारी प्रार्थीगण की ही है। केवल मात्र मकान से बेदखल करने हेतु ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है यदि मकान में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का प्रार्थीगण के साथ विवाद करते है तो प्रार्थीगण मकान खाली करवाने हेतु स्वतन्त्र है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी क्रम 1 द्वारा कोई परेशान नही किया गया है शान्ति से मकान मे निवास कर रहा है। और यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थी एवं अप्रार्थी की पत्नी से किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो प्रार्थीगण शान्ति से निवास करने के लिये अलग से मकान मिलने पर खाली कर देंगे। प्रार्थीगण की जिम्मेंदारी है कि वह अप्रार्थीगण को मकान खरीद कर दिलवाये। जबतक मकान की व्यवस्था नही हो तब तक शान्ति पूर्वक मकान मे निवास करने दे।

अप्रार्थी क्रम 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी क्रम 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 विद्यालय में पढाता है एवं अप्रार्थीया क्रम 2 भी जॉब करती है जिससे अप्रार्थीगण को 50,000/– प्रतिमाह आय प्राप्त होती है। जिससे अप्रार्थीगण अपना खर्चा चलाने एवं अलग मकान लेकर रहने में सक्षम है। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से प्रार्थीगण के उक्त कथन का खण्डन नही किया गया है जिससे प्रार्थीगण के उक्त कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
को

है। पत्रावली में संलग्न नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी पट्टा के अवलोकन से है कि उपरोक्त वर्णित मकान सी–181 इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान नगर कोटा प्रार्थीगण अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने तंत्र हैं। पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा, कर्तव्य पालन न करके ण को प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान हते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीगण को वस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः र्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थीगण के स्वामित्व वाले मकान सी–181 इन्द्रा कॉलोनी विज्ञान नगर कोटा को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी विज्ञान नगर कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 16/10/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा